

(14)

संख्या-5449 1-10-2007-12(73)67

प्रेषक,
उमेश सिन्हा,
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जालौन, झाँसी, ललितपुर, बाँदा, महोबा,
हमीरपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग -10

लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2007

विषय :- प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में सिंचाई विभाग द्वारा स्थापित पम्प नहरों तथा राजकीय नलकूपों के मरम्मत हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव को एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

सिंचाई विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्याचल मण्डल में स्थापित पम्प नहर के मरम्मत के निम्नांकित प्रस्ताव :-

क्रम	जनपद का नाम	लागत (लाख में)
1.	जालौन	337.00
2.	बाँदा	395.00
3.	झाँसी	88.00
4.	हमीरपुर	126.60
5.	चित्रकूट	30.00
6.	मिर्जापुर	123.00
7.	सोनभद्र	52.50
	योग (रूपये ग्यारह करोड बावन लाख दस हजार मात्र)	1152.10

2. इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्याचल मण्डल में स्थापित राजकीय नलकूपों के मरम्मत के लिये कुल रु0 37,72,49,000 के प्रस्ताव के विरुद्ध तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु रु0 6,45,40,000 (रूपये छः करोड पैतालिस लाख चालिस हजार मात्र) की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं।

(उपरोक्तानुसार नहर पम्प की मरम्मत हेतु जिलावार आवंटन सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, किन्तु राजकीय नलकूप के मरम्मत हेतु जिलावार फॉट उपलब्ध नहीं हैं, जिसका ब्यौरा रु0 6,45,40,000 (रूपये छः करोड पैतालिस लाख चालिस हजार मात्र) की सीमा तक सिंचाई विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपदों को सूचित करके टी0आर0 -27 से धनराशि आहरित करने हेतु जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजेंगे)

उपरोक्तानुसार पम्प नहर के मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 11,52,10,000 / - (रूपये ग्यारह करोड बावन लाख दस हजार मात्र) की 30 प्रतिशत धनराशि रू0 3,45,63,000 / - (रूपये तीन करोड पैतालिस लाख तिरसठ हजार मात्र) तथा राजकीय नलकूपों के मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि रूपये 6,45,40,000 / - (रूपये छः करोड पैतालिस लाख चालीस हजार मात्र) की 30 प्रतिशत रू0 1,93,62,000 / - (रूपये एक करोड तिरानवे लाख बासठ हजार मात्र) अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्तानुसार 30 प्रतिशत स्वीकृत धनराशि के दो तिहाई भाग का उपयोग होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

यह धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा टी0आर0-27 से विभाग की मॉग पर आहरित की जायेगी, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा कोषागार नियम 27 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाय और यह तभी किया जाय जब पूर्व में स्वीकृत धनराशि के समक्ष पूरी-पूरी धनराशि का उपयोग हो जाय और इस धनराशि का कोई भी अंश अप्रयुक्त न रहे। कोषागार नियम 27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजन के लिये सम्बन्धी जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजते समय उक्त आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाय।

2. कोषागार नियम -27 से धनराशि का आहरण करने के उपरान्त जिलाधिकारी सम्बन्धित विभाग को धनराशि उपलब्ध करायेंगे तथा इस धनराशि का प्रयोग केवल उपर्युक्त उल्लिखित कार्यो हेतु ही किया जा सकेगा। अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्यविशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नही हुई है।

3. जिलाधिकारी टी0आर0 -27 से आहरित की गई धनराशि का समुचित प्रस्ताव शासन को भेजते हुए समायोजन की कार्यवाही वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. उपर्युक्त परियोजनाओं पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय -03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5. आपदा राहत निधि नियमावली के सुसंगत बिन्दुओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के वास्तविक कार्यान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था क्षति की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेंगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त पुनश्च फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मस्टररोल, एमबी तथा अन्य वाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन के राजस्व अनुभाग -10 में भी उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त कार्यो की एक निदर्शनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में आपदा सम्बन्धी किये गये कार्यो का विवरण हो। इस निदर्शनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन

प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय। इसे जनपद की वेबसाइट पर भी जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

6. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश सं०-जी०आई०-134-1-11-2007-46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकतानुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

7. आपदा राहत निधि के अन्तर्गत यदि वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष बचतें उपलब्ध हों तो दिनांक:25 मार्च, 2008 तक शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8. व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

9. ^{उपरोक्त चंजी सं०-ई-5-2007(3)/2007 दिनांक 26.12.2007 के अन्तर्गत} यह आदेश वित्त विभाग की (सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)

सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

संख्या - 5449(1)/1-10-2007 तददिनांक
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा० राजस्व मंत्री के निजी सचिव।
2. स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग।
6. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
7. मण्डलायुक्त झॉंसी, चित्रकूटधाम, मिर्जापुर-विन्ध्यांचल।
8. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
10. कोषाधिकारी, जालौन, झॉंसी, ललितपुर, बॉदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5।
12. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियां)/राजस्व अनुभाग -6/राजस्व अनुभाग -11।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से
(ओम प्रकाश)
उप सचिव